

**बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग**

--कार्यालय आदेश--

का०आ०सं०-01 / स्था०राज०284 / 2024-

पटना, दिनांक

अप्रैल, 2025

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-3(3)(ख) के तहत गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक-27.02.2025 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त जन सेवकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित कार्यालय में संविदा के आधार पर जनसेवक के पद पर नियोजित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	कोटि क्रमांक	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	नियोजन का विभाग / कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री नरेन्द्र सिंह, पिता-विश्वनाथ सिंह, पता-ग्राम-अम्बिका नगर, नजदीक मदर टरेसा स्कूल, थाना-बंजरिया, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार, 844501.	जनसेवक	सामान्य	01.02.1963	31.01.2023	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया।
2	श्री नवल पुष्कर, पिता-बैनी माधो सिंह, पता-ग्राम-बसौली विशनपुर, थाना-राजापाकर, पोस्ट- विशनपुर तितरा, जिला-वैशाली, बिहार, 844502	जनसेवक	सामान्य	19.01.1963	31.01.2023	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया।
3	श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा, पिता-गौरी शंकर महतो, पता-ग्राम-कानना, पो०-कौडिहार, थाना-रक्सौल, जिला-पू०चम्पारण, बिहार, 845305	जनसेवक	पिछड़ा वर्ग	10.05.1963	31.05.2023	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।
4	श्री अनिल कुमार सिंह, पिता-स्व० राम लखन सिंह, पता-ग्राम+पो०- नयागंज, थाना-देसरी, जिला-वैशाली, बिहार, 844506	जनसेवक	पिछड़ा वर्ग	10.10.1963	31.10.2023	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया।
5	श्री अनिल कुमार, पिता-मुंशीलाल सिंह, पता-ग्राम-पुरेनिया, पोस्ट-सठिऔता, थाना-लालगंज, जिला-वैशाली, बिहार, 844101	जनसेवक	पिछड़ा वर्ग	15.11.1963	30.11.2023	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया।
6	श्री बिन्देश्वर प्रसाद, पिता-स्व० बुधन महतो, पता-ग्राम-जनकपुर, पो०-बुनियादगंज, थाना-मुफ्फसील, जिला-गया, बिहार, 823003	जनसेवक	पिछड़ा वर्ग	12.01.1964	31.01.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी।

Hall

Handwritten signature/initials

7	श्री पावस प्रीतम, पिता-स्व० शोभाकांत, पता- इशहाकपुर, पोस्ट+थाना- महनार, जिला-वैशाली, बिहार, 844506	जनसेवक	सामान्य	15.01.1964	31.01.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर।
8	श्री बृजबल कुमार, पिता-रामजतन शर्मा, पता- ग्राम+पोस्ट-उमता, थाना-मकदुमपुर, जिला-जहानाबाद, बिहार, 804403	जनसेवक	सामान्य	03.03.1964	31.03.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान।
9	श्री अब्दुल गफ्फार, पिता- मो० सफीक, पता- वार्ड संख्या-12, भैरो पट्टी, मधेपुरा, बिहार, 852114.	जनसेवक	अति पिछड़ा वर्ग	15.05.1964	31.05.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।
10	श्री सुनील कुमार, पिता-स्व० सीता राम सिंह, पता-जनकपुर, सरदा, लॉइज, मधुमाती आश्रम, मानपुर, बुनियाद गंज, गया, बिहार, 823003.	जनसेवक	अति पिछड़ा वर्ग	25.06.1964	30.06.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।
11	श्री गोनौर सहनी, पिता-स्व० नंद लाल सहनी, पता- ग्राम-चकभैरो, पोस्ट- भानबोरहॉ, थाना-जनदाहा भोरहा उर्फ रसूलपुर घौंस, वैशाली, बिहार, 844122.	जनसेवक	अति पिछड़ा वर्ग	02.07.1964	31.07.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।
12	श्री सूर्यमणी शर्मा, पिता-श्री गौरी शंकर सिंह, पता-मोहल्ला- लखीबाग, मानपुर, पोस्ट-बुनियाद गंज, थाना-मुफसिल, जिला-गया, बिहार, 823003	जनसेवक	सामान्य	05.08.1964	31.08.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।
13	श्री मिथलेश ठाकुर, पिता-स्व० कृष्णा ठाकुर, पता-ग्राम-धनौती, पोस्ट+थाना+अनुमंडल-मसौड़ी, जिला-पटना, 804452	जनसेवक	अति पिछड़ा वर्ग	25.08.1964	31.08.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान।
14	श्री राधा कृष्ण पासवान, पिता-रामसोहान पासवान, पता-एन.एच.-7, असाधरपुर, अम्भारपुर, वैशाली, 844125.	जनसेवक	अनुसूचित जाति	11.09.1964	30.09.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी।
15	श्री राम निवास प्रसाद, पिता-स्व० सूर्य प्रसाद, पता-141, मीरपुर, पूर्वी चम्पारण, बिहार, 845415.	जनसेवक	अति पिछड़ा वर्ग	15.11.1964	30.11.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।
16	श्री अरुण कुमार प्रसाद, पिता-रामस्वार्थ साह, पता-उत्तरी शाही कॉलोनी (पोखरा), हाजीपुर, वैशाली, बिहार, 844101	जनसेवक	पिछड़ा वर्ग	08.12.1964	31.12.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।
17	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, पिता-प्रमेश्वरी नारायण सिंह, पता-भवन संख्या-97 (1) अलेन्द्र कुमार सिंह, बागदुल्हन, नया टोला, जगदम्बा स्थान के पास, हाजीपुर, हाजीपुर, वैशाली, बिहार, 844101	जनसेवक	सामान्य	02.01.1965	31.01.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर।

Hall

8/09/04/2025

18	श्री राजेश कुमार मिश्रा, पिता- चन्द्रदेव मिश्रा, पता-वॉर्ड संख्या-3, करमावा, पोस्ट-करमावा, थाना-ढाका, करमावा, पूर्वी चम्पारण, बिहार-845304	जनसेवक	सामान्य	15.02.1965	28.02.2025	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।
19	श्री रविन्द्र ठाकुर, पिता-स्व० जगदीश ठाकुर, पता-ग्राम-अदलवारी बुद्धा कॉलोनी, हाजीपुर, वैशाली, बिहार, 844101	जनसेवक	सामान्य	15.10.1961	31.10.2021	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।
20	श्री शिव कुमार, पिता-स्व० राम दयाल सिंह, पता-ग्राम+पोस्ट-पानापुर, धर्मपुर, थाना-बिदुपूर, जिला-वैशाली, बिहार, 844102	जनसेवक	पिछड़ा वर्ग	17.09.1962	30.09.2022	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।
21	श्री अभय कुमार सिन्हा, पिता-योधन प्रसाद, पता- ग्राम+पोस्ट-श्रीपुर, थाना-बेलागंज, जिला-गया, बिहार, 824233	जनसेवक	अति पिछड़ा वर्ग	05.01.1963	31.01.2023	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।
22	श्री सुरेश प्रसाद, पिता-परशुराम प्रसाद, पता-ग्राम+पोस्ट- उचकागाँव, थाना+प्रखंड- उचायी कोर्ट, जिला-गोपालगंज, बिहार, 841501.	जनसेवक	पिछड़ा वर्ग	07.05.1964	31.05.2024	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज।

2. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(2)(क)(v) तथा 3(2)(ख)(v) के तहत प्रावधानित अवधि के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए किया जाता है। प्रस्तुत मामलों में अधिकतम निर्धारित उम्र तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनका सेवा विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा और कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा -विस्तार सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत संकल्प ज्ञापांक-3978 दिनांक-23.03.2018 की कंडिका-5 के आलोक में विभाग स्तरीय चयन समिति की सहमति से संकल्प के तहत निर्धारित उम्र तक किया जा सकेगा।

3. संविदा नियोजित कर्मियों के संबंध में किसी प्रकार के आरोप/दण्ड की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिये जाने की शर्त का उल्लेख नियोजन आदेश में किया जाना आवश्यक होगा।

4. संविदा नियोजित कर्मियों को देय मासिक मानदेय का निर्धारण संकल्प की कंडिका-(3)(6)(i) तथा (3)(7)(iii) के आलोक में किया जायेगा तथा अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण संकल्प के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

5. संविदा नियोजन आदेश के आलोक में संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा पद पर योगदान करने की तिथि से संविदा नियोजन एक वर्ष तक के लिए प्रभावी होगा।

6. संकल्प की कंडिका-3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका-3(6)(iv) के तहत सेवा निवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संविदा अवधि में स्थिर रहेगी। मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष

Hall
28/04/2025

सेवाओं के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा। उपर्युक्त जनसवेक को उनके योगदान की तिथि से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

7. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(7)(iii) एवं परिपत्र संख्या-8710 दिनांक-11.08.2021 सह-पठित परिपत्र संख्या-13522 दिनांक-17.11.2021 के आलोक में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित संविदा नियोजित कर्मों के मानदेय का निर्धारण किया जायेगा।

8. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका-3(6)(ii) के अंतर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

9. इन संविदा नियोजित जनसेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

10. इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

11. इन संविदा नियोजित कर्मियों को कोई वित्तीय दायित्व नहीं सौंपा जायेगा। वित्तीय शक्ति दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-11899 दिनांक-06.10.2021 का अनुपालन प्रशासी विभाग/कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

ह०/-
(अरुण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या- 01/स्था०विविध-17/2025-

पटना, दिनांक अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-5582 दिनांक-27.03.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(अरुण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या- 01/स्था०विविध-17/2025- 404

पटना, दिनांक 09 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आशुटंकक/सभी संबंधित पदाधिकारी/बजट शाखा/सभी संबंधित कार्यालय/सभी संबंधित कर्मों, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार)
अवर सचिव।